

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2015/श्रावण 6, 1937 No. 473] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2015/SRAVANA 6, 1937

### आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

सा.का.िन. 586(अ).—केंद्रीय सरकार, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### अध्याय 1

### प्रारंभिक

- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इन नियमों का संक्षिप्त नाम चंडीगढ संघ राज्यक्षेत्र, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  - 2. परिभाषा- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "अधिनियम" से, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) अभिप्रेत है :
    - (ख) "उपनियम" से अधिनियम की धारा 37 के अधीन बनाए गए उपनियम अभिप्रेत हैं ;
    - (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
    - (घ) "सरकार" से संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;
  - (ङ) "शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति" से शिकायतों के निपटान या विवादों के समाधान के लिए अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है ;

3244 GI/2015 (1)

- (च) "स्थानीय प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (छ) "नगरपालिका आयुक्त" से किसी नगर निगम या नगर परिषद् का आयुक्त या मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, का उपाध्यक्ष या छावनी बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;
  - (ज) "नियम" से अधिनियम की धारा 36 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;
  - (झ) "अनुसूची" से, यथास्थिति, इन नियमों या अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
  - (ञ) "स्कीम" से अधिनियम की धारा 38 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित स्कीम अभिप्रेत है ;
  - (ट) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- (2) वे शब्द और पद, जिनका इसमें उपयोग किया गया है और इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में हैं।

### अध्याय 2

### पथ विक्रय का विनियमन

**3. विक्रय का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आयु विहित करना-** कोई पथ विक्रेता, जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, धारा 4 के अधीन उपबंधित रीति में विक्रय का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र होगा ।

#### अध्याय 3

### विवाद समाधान तंत्र

- 4. शिकायत निपटान और विवाद समाधान समितियों का गठन- (1) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन सरकार द्वारा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के लिए एक शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा, जो एक अध्यक्ष, जो सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट रहा हो या तथा सदस्यों के रूप में दो अन्य व्यवसायियों से मिलकर बनेगी।
- (2) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी :

परंतु कोई अध्यक्ष उस रूप में 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

- 5. शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव- कोई व्यक्ति शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति में व्यवसायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह-
  - (i) पैतीस वर्ष से अधिक आयु का है किन्तु पैंसठ वर्ष से कम आयु का है ; और
  - (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री रखता है ; और
  - (iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा का विख्यात व्यक्ति है और उसके पास पर्याप्त जानकारी या कम से कम दस वर्ष का समाजिक कार्य का या पथ विक्रेताओं की समस्याओं से निपटने का या सार्वजनिक मामलों या नगरपालिका या लोक प्रशासन का अनुभव है ;
- 6. शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और अन्य भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्त- (1) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति का अध्यक्ष और सदस्य, समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां प्राप्त करेंगे।
  - (2) सरकार, शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकेगी, यदि वह
    - (क) दिवालिया न्यायनिणीत किया गया है;

- (ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्विल्लित है;
  - (ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;
- (घ) उसने ऐसा वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;
- (ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है

परंतु अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से उपनियम (2) के खंड (घ) और खंड (ड़) में विनिर्दिष्ट आधारों पर सिवाय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में की गई जांच के नहीं हटाया जाएगा ।

- (3) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों में उनकी पदावधि के दौरान उनके अलाभप्रद रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
- 7. **शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति को आवेदन करने का प्ररूप और रीति-** (1) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति को प्रत्येक आवेदन प्ररूप 'क' में किया जाएगा।
- (2) आवेदन पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उसके द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति को या ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा जिसे समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए
  - (3) आवेदन तीन सेटों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ एक सौ रुपए की फीस संलग्न होगी।
- (4) आवेदन के साथ आदेश या सूचना, यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है और सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे।
- (5) पथ विक्रेता द्वारा ऐसा आवेदन शिकायत या विवाद कारित करने वाली किसी घटना के होने की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा :

परंतु शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति विलंब को माफ कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को विहित समय के भीतर आवेदन न करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था ।

- 8. **आवेदन के सत्यापन की रीति और जांच-** (1) शिकायत निपटान के प्रत्येक आवेदन के प्राप्त होने पर शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और क्रम संख्यांक रूप से संख्यांकित की जाएगी।
- (2) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति रजिस्टर में प्रविष्ट करने के पश्चात आवेदन को समिति के समक्ष रखेगा ।
- (3) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति आवेदन की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगी जो आवेदन फाइल करने की तारीख से पन्द्रह दिन से परे नहीं होगी और पक्षकारों को सुनवाई की सूचना जारी करेगी या सूचना जारी करना कारित करेगी।
- (4) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करते समय प्रत्यर्थी को एक लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए कहेगी और सूचना में इस प्रभाव का एक कथन अंतविष्ट होगा ।
- (5) पक्षकारों की हाजिरी के लिए इस प्रकार नियत तारीख को शिकायत निपटान और विवाद समाधान सिमिति आवेदक को त्रुटियों, यदि कोई हो, को ठीक करने के लिए कह सकेगी या पक्षकारों को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने को या ऐसे अन्य दस्तावेज या साक्ष्य, जो वह ठीक और समुचित समझे, उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगी।
- (6) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति आवेदक और प्रत्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिविरोध के संबंध में तथा उसके प्रस्तुत अभिलेखों के निर्देश के लिए भी एक फील्ड जांच का भी आदेश कर सकेगी ।

(7) शिकायत निपटान और विवाद समाधान सिमिति दोनों पक्षकारों को सुनने और मामले के अभिलेख की जांच करने के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करने के साठ दिन के भीतर, आवेदन का विनिश्चय करेगी और ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह ठीक और समुचित समझे :

परंतु मामले की सुनवाई के दौरान यदि समिति का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, जो यह मांग करती है कि कोई अंतरिम अनुतोष दिया जाना चाहिए तो समिति ऐसे मामले के समाप्त होने तक और अगले आदेश तक ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

- (8) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति दोनों पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना का भी पता लगाएगी और पक्षकारों के बीच समझौता हो जाने की दशा में समिति समझौते को अभिलिखित करेगी जिस पर दोनों पक्षकारों द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और ऐसे समझौते के निबंधनों में आवेदन का निपटारा किया जाएगा।
  - (9) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगी जहां,--
    - (क) आवेदन अनाम है या उसमें साधारण और अस्पष्ट आरोप है ;
    - (ख) मामला किसी विधि के न्यायालय, अधिकरण या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के पास विचाराधीन है :
    - (ग) मामला अधिनियम के क्षेत्राधिकार के परे है ;
    - (घ) आवेदक को आवेदन फाइल करने का अधिकार नहीं है।

### अध्याय 4

### अपील

9. शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील- (1) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा प्ररूप 'ख' में संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के मेयर या अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में और 2 सदस्यों के जैसा कि साधारण बोर्ड बैठक में विनिश्चय किया जाए, से मिलकर बनने वाले अपील प्राधिकरण को उस आदेश या विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना के 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा:

परंतु अपील प्राधिकरण विलंब को माफ कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को विहित समय के भीतर आवेदन करने से निवारित करने के पर्याप्त कारण थे।

- (2) अपील एक ज्ञापन के रूप में होगी और इस पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा वह इसे वैयक्तिक रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
  - (3) अपील ज्ञापन के साथ उस आदेश की मूल प्रति या आदेश की प्रमाणित प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
  - (4) अपील तीन सेटों में की जाएगी और उसके साथ 200 रुपए की फीस संलग्न होगी।
- (5) ऐसी किसी अपील को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसकी एक प्रति की, यथास्थिति, प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों को तामील न कर दी गई हो और ऐसी तामील का सबूत फाइल न कर दिया गया हो।
- (6) किसी अपील को वहां ग्रहण नहीं किया जाएगा जहां आदेश शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति द्वारा पक्षकारों के बीच हुए समझौते के निबंधनों में पारित किया गया है ।
- 10. नगर विक्रय समिति के विनिश्चय से अपील: (1) विक्रय प्रमाणपत्र को जारी करने या विक्रय प्रमाणपत्र को निरस्त या रद्द करने की बाबत नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध धारा 11 के अधीन अपील स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को मेयर या अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में और 2 सदस्यों के जैसा कि साधारण बोर्ड बैठक में विनिश्चय किया जाए, से मिलकर बनने वाले अपील प्राधिकरण को उस आदेश या विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना के 30 दिन के भीतर प्ररूप ग में अपील कर सकेगा:

पंरतु अपील प्राधिकरण विलंब को माफ कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को विहित समय के भीतर अपील न करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था :

परंतु यह और कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी एक सदस्य द्वारा अपील प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की जा सकेगी।

- (2) अपील एक ज्ञापन के रूप में प्ररूप ग में होगी और इस पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा वह इसे वैयक्तिक रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी या स्थानीय भाषा में, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा चयन किया जाए, प्रस्तुत करेगा।
  - (3) अपील ज्ञापन के साथ उस आदेश की मूल प्रति या आदेश की प्रमाणित प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
  - (4) अपील तीन सेटों में की जाएगी और उसके साथ 200 रुपए की फीस संलग्न होगी।
- (5) ऐसी किसी अपील को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसकी एक प्रति की, ऐसी अपील फाइल करने से पूर्व नगर विक्रय समिति को तामील न कर दी गई हो और ऐसी तामील का सबूत अपील के साथ फाइल न कर दिया गया हो ।
- 11. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों के निपटान की प्रक्रिया.-(1) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में उस तारीख को, जिसको अपील प्रस्तुत की गई है, अपील की प्रविष्टि करेगा।
- (2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील को पेश किया जाएगा, जो अपील की सुनवाई के लिए आवेदन फाइल की जाने की तारीख से 15 दिन से पूर्व सुनवाई की तारीख नियत करेगा और पक्षकारों को सुनवाई की सूचना की तामील करेगा।
- (3) अपील प्राधिकरण पक्षकारों द्वारा उसके समक्ष की गई दलीलों के आधार पर और मामले के अभिलेखों और फील्ड जांच, यदि कोई हों, जिसके संचालन का अपील प्राधिकरण द्वारा आदेश किया गया हो, के आधार पर कारणों को लेखबद्ध करते हुए अपील किए गए आदेश की पुष्टि करते हुए, उपांतरित करते हुए या उसे निरस्त करते हुए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपील की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे :

परंतु मामले की सुनवाई के दौरान यदि अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसमें अंतरिम अनुतोष प्रदान किया जाना चाहिए तो अपील प्राधिकरण ऐसे मामले की समाप्ति तक यह और आदेश करने तक ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे ।

### अध्याय 5 नगर विक्रय समिति

12. **नगर विक्रय समिति का गठन-**(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में सरकार द्वारा एक नगर विक्रय समिति का गठन किया जाएगा :

परंतु सरकार यदि आवश्यक समझे तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के अनुरोध पर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के लिए उनकी अधिकारिता विनिर्दिष्ट करने के पश्चात् एक से अधिक नगर विक्रय समिति का गठन कर सकेगी ।

(2) नगर विक्रय समिति का गठन नीचे दिए अनुसार होगा, अर्थात् :--

क्रम सं.	सरकारी विभाग और अन्य निकाय	सदस्यों की संख्या
(क)	सरकारी विभाग	
(i)	अध्यक्ष (नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यपालक अधिकारी)	01
(ii)	पुलिस का प्रतिनिधि (अधिमानत: यातायात प्रभाग से)	01
(iii)	स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम चंडींगढ़	01
(iv)	शहरी आयोजना प्राधिकरण का प्रतिनिधि, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	01
(v)	पुलिस अधीक्षक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	01
(ख)	अन्य निकाय	
(i)	पथ विक्रेता (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यंकों और नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व के साथ उनमें एक तिहाई महिला विक्रेता होंगी)	05
(ii)	गैर-सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन	01
(iii)	निवासी कल्याण संगम	01
	योग	12

(3) चयन किए गए सदस्यों से भिन्न नगर विक्रय समिति के सदस्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परंतु सरकारी सदस्यों के नामनिर्देशन में उन व्यक्तियों में से अधिमानतः दी जाएगी, जो पथ विक्रेताओं से संबंधित कार्यकलापों से व्यवहार कर रहे हैं :

परंतु यह और कि गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों या समुदाय आधारित संगठनों या निवासी कल्याण संगमों का नामनिर्देशन सरकार द्वारा ऐसे मानदंड के आधार पर जो अधिकथित किया जाए कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित कर या किसी अन्य रीति में विज्ञापित करने के पश्चात् आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ।

- 13. **नगर विक्रय समिति के सदस्यों का निर्वाचन पथ विक्रेताओं में से किया जाना-** (1) स्थानीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों का निर्वाचन संचालित करने के अपने आशय को अभिव्यक्त करेगा।
  - (2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचनों का संचालन करने के लिए एक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति करेगा।
- 14. **पथ विक्रेताओं में से नगर विक्रय समिति के सदस्यों का निर्वाचन करने की रीति-** (1) नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्ति रिटर्निंग आफिसर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में उपबंधित रीति में निर्वाचनों का संचालन करेगा।
  - (2) कोई पथ विक्रेता नगर विक्रय समिति में निर्वाचन के लिए निरर्हित होगा यदि वह,--
    - (i) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वल्लित है ;
  - (ii) शारीरिक रूप से और या मानसिक रूप से नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है ।
- (3) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नामों को सरकार को संसूचित किया जाएगा, जो ऐसे नामों की प्राप्ति पर उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य नामों के साथ प्रत्येक प्राधिकरण में नगर विक्रय समिति के गठन को अधिसूचित करेगी ।
- 15. **नगर विक्रय समिति के सदस्यों की पदावधि-**(1) सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त, जो पदेन क्षमता सदस्य होंगे, नगर विक्रय समिति के सदस्यों की पदावधि, यथास्थिति, उनके निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से पांच वर्ष होगी।
- (2) यथास्थिति, सदस्यों के निर्वाचन या नामनिर्देशन की प्रक्रिया उनकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व पूरी कर ली जाएगी।
- 16. **नगर विक्रय समिति के सदस्य का पद से हटाया जाना**-(1) नगर विक्रय समिति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह,--
  - (क) अधिनियम और इन नियमों के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार व्यतिक्रम करता है या अपनी शक्तियों से परे कार्य करता है या उनका दुरुपयोग करता है ;
    - (ख) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना सिमति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है ;
    - (ग) किसी विधि के न्यायालय द्वारा किसी दांडिक मामले में सिद्धदोष है :
    - परंतु ऐसे सदस्य को उसको हटाए जाने से पूर्व सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।
- 17. रिक्त स्थानों को भरने की रीति--(1) यदि नगर विक्रय समिति में किसी पथ विक्रेता से भिन्न किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु, पद से हटाने या अन्यथा कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियम 12 में विनिर्दिष्ट उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, की पदाविध की शेष अविध के लिए सदस्य बना रहेगा।

- (2) यदि नगर विक्रय समिति में किसी सदस्य, जो पथ विक्रेता है, के त्यागपत्र, मृत्यु, पद से हटाने या अन्यथा कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो स्थानीय प्राधिकरण ऐसी रिक्ति को नियम 14 के अनुसार संचालित निर्वाचनों के आधार पर भरेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, की पदाविध की शेष अविध के लिए सदस्य बना रहेगा।
- 18. नगर विक्रय समिति के सदस्यों को संदेय भत्ते- जो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर रहे हैं, नगर विक्रय समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए केवल एक हजार रुपए की दर से संदेय होंगे या जैसा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए।
- 19. **नगर विक्रय समिति की बैठकें**—(1) साधारणतया नगर विक्रय समिति तीन मास की अवधि में या ऐसे अंतरालों पर, जो नगर विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, उसके कारबार के संचालन के लिए कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी:

परंतु नगर विक्रय समिति की पहली बैठक अध्यक्ष द्वारा उसके गठन के 45 दिन के भीतर बुलाई जाएगी :

परंतु यह और कि समिति के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों के अनुरोध पर किसी विनिर्दिष्ट मुद्दे पर अध्यक्ष द्वारा अध्यापेक्षित बैठक बुलाई जा सकेगी और बैठक इस प्रकार किए गए अनुरोध के प्राप्त होने के पश्चात् 72 घंटें के भीतर बुलाई जाएगी।

- (2) नगर विक्रय समिति की बैठकें स्थानीय प्राधिकरण के मुख्यालय में या स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थान पर जैसा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, आयोजित की जाएंगी।
  - (3) नगर विक्रय समिति की अनुसूचित बैठक के 7 दिन पूर्व बैठक के एंजेडा सहित सूचना जारी की जाएगी।
  - (4) बैठक की गणपूर्ति नगर विक्रय समिति की कुल संख्य के दो तिहाई सदस्यों से होगी।
- (5) गणपूर्ति की अनुपस्थिति में कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी और गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित कर दी जाएगी।
- 20. **नगर विक्रय समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया--**(1) नगर विक्रय समिति अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसा सदस्यों के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए।
- (2) अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उप विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संकल्प, नगर विक्रय समिति की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले दो तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा।
- (3) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाए जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे, उसे सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा और वेबसाइट पर, यदि उपलब्ध हो तो समिति की बैठक के एक मास के भीतर प्रकाशित किया जाएगा ।
- 21. **नगर विक्रय समिति के कृत्य--**अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नगर विक्रय समिति निम्नलिखित कृत्यों को करेगी, अर्थात् :--
  - (क) क्षेत्र में पथ विक्रेताओं की पहचान करने के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर सर्वेक्षण संचालित करना और मानकों, योजना और अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर धारण क्षमता के अनुसार उनका वास सुनिश्चित करना:
  - (ख) किसी पत्र पथ विक्रेता को उसे उन निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने का वचनबंध अभिप्राप्त करने के पश्चात्, जिनके अधीन विक्रय के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, विक्रय प्रमाणपत्र जारी करना, नगर विक्रय सिमिति अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन विरचित स्कीम में विनिर्दिष्ट मानदंड का अनुसरण करेगी:
  - (ग) किसी पथ विक्रेता के विक्रय प्रमाणपत्र और रद्द या निरस्त करने जिसने विक्रय की किन्हीं शर्तों का या अधिनियम या इन नियमों या अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के

लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया है या जहां नगर विक्रय समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विक्रय प्रमाणपत्र पथ विक्रेता द्वारा दुर्पव्यपदेशन या कपट द्वारा हासिल किया गया है :

परंतु नगर विक्रय समिति द्वारा विक्रय के किसी प्रमाणपत्र को रद्द या निरस्त करने के किसी आदेश में ऐसे रद्द या निरस्त करने के कारणों को विक्रेता को संसूचित लिखित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

- (घ) अपनी अधिकारिता में स्थानीय प्राधिकारी को किसी क्षेत्र को गैर विक्रय क्षेत्र घोषित करने के लिए सिफारिश करना :
  - (ङ) विक्रय के लिए स्थलों और स्थानों की पहचान करना ;
  - (च) सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ रोकने का सुनिश्चय करने के लिए विक्रय के समय का विनियमन करना ;
  - (छ) पथ विक्रेताओं द्वारा अवहेलना के विरुद्ध सुधारकारी तंत्र के प्रवर्तन का सुनिश्चय करना ;
  - (ज) विवाद निपटान समिति और स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित विवाद के मामलों का अनुसरण करना ;
- (झ) पथ विक्रेताओं के व्यवसाय का संवर्धन करने के लिए योजना तैयार करने के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण को सिफारिशें प्रस्तुत करना ;
- (ञ) अपनी बैठकें करना और अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन का सुनिश्चय करने के लिए समुचित विनिश्चय करना :
- (ट) स्वयं के साथ अस्थायी आधार पर सरकारी या अन्य गैर-सरकारी संगठनों से तकनीकी और व्यवसायिक व्यक्तियों को अधिनियम के किसी भी उपबंध को पूरा करने के लिए सहायता या परामर्श अभिप्राप्त करने के लिए सहबद्ध करना ;
- (ठ) पथ विक्रेता चार्टर को कम से कम एक स्थानीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी में विख्यात समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना और उसे नगर विक्रय समिति के कार्यालय और यथा अपेक्षित यूएलवी के अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित करना, उसमें उस समय को विनिर्दिष्ट करना, जिसके भीतर विक्रय प्रमाणपत्र पथ विक्रेताओं को जारी किए जाएंगे और वह समय जिसके भीतर ऐसे विक्रय प्रमाणपत्रों का नवीकरण किया जाएगा तथा उनमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निष्पादित किए जाने वाली अन्य गतिविधियां;
- (ड) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं तथा उन पथ विक्रेताओं, जिनको अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, के अद्यतन अभिलेखों को रखना और वेबसाइट पर प्रकाशित करना, यदि उपलब्ध हो तो ;
- (ढ) अधिनियम या इन नियमों या उनके अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन अपने कार्यकलापों की सामाजिक संपरीक्षा करना ;
- (ण) समय-समय पर सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को अधिनियम और इन नियमों के अधीन विहित रिटर्न प्रस्तुत करना ;
- (त) पथ विक्रेताओं को प्रत्यय, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमें उपलब्ध कराने के लिए कल्याणकारी उपाय हाथ में लेने के लिए सरकार को टिप्पणियां प्रस्तुत करना ;
- (थ) अर्थव्यवस्था में पथ विक्रेताओं की भूमिका के विषय में जनता में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सरकार को सहायता देना ; और
- (द) अधिनियम और इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य कृत्य करना, जो स्थानीय प्राधिकरण तथा सरकार द्वारा नगर विक्रय समिति को प्रत्यायोजित किए जाएं।

- 22. विशेषज्ञ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से सहबद्ध करने की नगर विक्रय समिति की शक्ति--(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर विक्रय समिति इस क्षेत्र में पर्याप्त जानकारी और अनुभव रखने वाले विख्यात उपयुक्त व्यक्ति को पथ विक्रेताओं से संबंधित मामलों पर तकनीकी या व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में सहबद्ध कर सकेगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन सहबद्ध किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन एक न्यायोचित और पारदर्शी रीति में सरकारी विभागों में परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के तकनीकी या व्यावसायिक विशेषज्ञों के रूप में नियोजित करने की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा।
- (3) उपनियम (1) के अधीन विशेषज्ञ के रूप में सहबद्ध व्यक्तियों को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भत्तों का संदाय किया जाएगा।
- (4) उपनियम (1) के अधीन विशेषज्ञ के रूप में सहबद्ध व्यक्ति नगर विक्रय समिति के बैठकों में भाग ले सकेंगे किंतु ऐसे व्यक्तियों को बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- 23. **नगर विक्रय समिति के कर्मचारी**--संबंधित स्थानीय प्राधिकरण जब नगर विक्रय समिति द्वारा अपेक्षा की जाए तो समिति को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जैसा स्थानीय प्राधिकरण समिति पर इन नियमों के नियम 21 के अधीन प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

### अध्याय 6

### प्रकीर्ण

- 24. **नगर विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेताओं के अभिलेखों का अनुरक्षण करने की रीति**--प्रत्येक नगर विक्रय समिति अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट अद्यतन अभिलेखों को इलैक्ट्रानिकी रूप में या मैन्युली या दोनों रूपों में जैसा कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाए, रखेगी।
- 25. **नगर विक्रय समिति द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करना**--(1) प्रत्येक नगर विक्रय समिति प्ररूप घ में यथा अपेक्षित ब्यौरों के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए आवधिक विवरणियां तैयार करेगी और सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी ।
- (2) यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण नगर विक्रय समिति से ऐसे रिटर्न या विवरणियां ऐसे प्रोफार्मा में समय-समय पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगी ।
- 26. अधिसूचित स्कीम के सारांश का समाचार पत्र आदि में प्रकाशित करना--(1) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन दूसरी अनुसूची में सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम का सारांश स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में दी गई लोक सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा और उसकी अधिकारिता के क्षेत्र या उस क्षेत्र में व्यापक रूप से जाने जाने के लिए, जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, में सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम की तारीख से 7 दिन के भीतर प्रकाशित किया जाएगा।
- (2) सूचना पर, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरण के नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (3) सूचना ऐसी भाषा या भाषाओं में होगी जैसा, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरण का नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

### अनुसूची

### (नियम 14 देखें)

पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस क्षेत्र की अधिकारिता के नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने की प्रक्रिया

1. संबंधित स्थानीय प्राधिकरण अपनी अधिकारिता में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन का पर्यवेक्षण, निदेश और नियंत्रण करेगी।

- 2. नियम 13 के उपनियम (1) के अधीन पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के आशय को अभिव्यक्त करने वाली अधिसूचना के यथाशीघ्र और उस नियम के उपनियम (2) के अधीन निर्वाचनों का संचालन करने के लिए रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति करने पर स्थानीय प्राधिकरण संकल्प द्वारा निर्वाचनों के संचालन के लिए तारीख, समय और स्थान अवधारित करेगी।
- 3. संकल्प की सूचना, स्थानीय प्राधिकरण का विनिश्चय नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रेता के व्यवसाय में लगे हुए पथ विक्रेताओं के बीच निम्नलिखित में से किसी एक ढंग द्वारा परिचालित की जाएगी, अर्थात् :--
  - (क) हिन्दी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में, जैसा कि स्थानीय प्राधिकरण ठीक समझे, दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित लोक सूचना द्वारा ;
    - (ख) स्थानीय परिदान द्वारा ;
    - (ग) डाक में डालने के डाक प्रमाणपत्र के अधीन ;
  - (घ) स्पीड पोस्ट या सक्षम प्राधिकारी के पास सम्यकता रजिस्ट्रीकृत कुरियर सेवाओं के साथ रिटर्निंग आफिसर के सूचना पट पर और ऐसी सूचना में निम्नलिखित के संबंध में जानकारी अंतर्विष्ट होगी ;
    - (i) निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, नि:शक्त व्यक्तियों या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षित स्थान भी हैं;
    - (ii) वह तारीख, स्थान और समय, जिसके बीच नामनिर्देशन पेपर फाइल किए जाएंगे, ऐसी तारीख निर्वाचन के लिए नियत तारीख से 7 स्पष्ट दिन से पूर्व नहीं होनी चाहिए या वह दिन सार्वजनिक अवकाश है तो अगला उत्तरवर्ती दिन, जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है;

स्पष्टीकरण--"सार्वजनिक अवकाश" से कोई दिन अभिप्रेत है, जो पराक्रमय लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का केंद्रीय अधिनियम 26) की धारा 25 के अधीन सार्वजनिक अवकाश है या कोई दिन जिसे सरकार द्वारा सरकार के अधीन कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश अधिसूचित किया गया है;

- (iii) नामनिर्देशन पेपरों की संवीक्षा के लिए तारीख और समय ;
- (iv) मतदान की तारीख, स्थान और समय।
- 4. स्थानीय प्राधिकरण नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में नामनिर्देशन आमंत्रित करने की तारीख से 30 दिन पूर्व को पथ विक्रय के व्यवसाय में लगे हुए पथ विक्रेताओं की सूची तैयार करेगी और उक्त सूची की प्रतियों को नगर विक्रय समिति के कार्यालय में नामनिर्देशन आमंत्रित करने के लिए नियत तारीख से 10 दिन पूर्व से अन्यून सूचना पट्ट पर चस्पा करेगी। सूची में रजिस्ट्रीकरण संख्या या विक्रय के प्रमाणपत्र की संख्या और पथ विक्रेता का नाम, यथास्थिति, पिता या पित का नाम और पथ विक्रेता का पता विनिर्दिष्ट होगा। यह, यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह पथ विक्रेताओं का अद्यतन रजिस्टर और ऐसा अन्य रजिस्टर तैयार करें, जिसकी रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपेक्षा की जाए और ऐसे अभिलेखों, रजिस्टर या रजिस्टरों को रिटर्निंग आफिसर को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नियत तारीख से 30 दिन पूर्व सुपुर्द करें। सूची की एक प्रति की यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण या रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, पथ विक्रेता को आपूर्ति की जाएगी।
- 5. अभ्यर्थियों का निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन इस अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप 1 में किया जाएगा, जिसकी आपूर्ति रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी पथ विक्रेता को नि:शुल्क की जाएगी।
- 6. अभ्यर्थी दो हजार रुपए का प्रतिभूति जमा अपने नामनिर्देशन पेपरों के साथ नकद या बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर के माध्यम से करेगा । यदि कोई अभ्यर्थी डाले गए मतों का 1/6 से कम प्राप्त करता है तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिभूति जमा का प्रतिसंह्रण कर लिया जाएगा ।
- 7. प्रत्येक नामनिर्देशन पेपर को अभ्यर्थी द्वारा स्वयं वैयक्तिक रूप से या उसके प्रस्तावक या द्वितीयक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाएगा । रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पेपर पर उसकी क्रम सं. दर्ज करेगा और उस तारीख तथा समय को प्रमाणित करेगा जिस पर उसके द्वारा नामनिर्देशन प्राप्त किया गया है और तुरंत नामनिर्देशन पेपर की एक लिखित

अभिस्वीकृत प्रदान करेगा जिस पर नगर विक्रय समिति या रिटर्निंग आफिसर की मुहर लगी होगी । कोई नामनिर्देशन पेपर, जो उसके लिए नियत तारीख और समय को या उससे पूर्व नहीं प्राप्त होता है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

- 8. (i) नामनिर्देशन पेपरों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के पश्चात् दिन को रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पेपरों की संवीक्षा करेगा;
- (ii) रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पेपरों की जांच करेगा और आक्षेपों का विनिश्चय करेगा, जो किसी नामनिर्देशन की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा किए जाएं और या तो ऐसे आक्षेपों पर या स्वयं ऐसी संक्षिप्त जांच, यदि कोई हो, जैसा रिटर्निंग आफिसर आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन अस्वीकार कर सकेगा:

परंतु किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन केवल उसके नाम या उसके प्रस्तावक या द्वितीयक या अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या द्वितीयक, जैसा कि पैरा 4 में निर्दिष्ट पथ विक्रेताओं की सूची में दर्ज है, के नाम के गलत विवरण के आधार पर ही अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि, यथास्थिति, अभ्यर्थी, प्रस्तावक या द्वितीयक की पहचान किसी युक्तियुक्त संदेह के परे स्थापित हो जाती है।

- (iii) रिटर्निंग आफिसर, यथास्थिति, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या प्रस्तावक या द्वितीयक को नामनिर्देशन पेपरों की जांच करने की और स्वयं का यह समाधान करने के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम को शामिल करना विधि पूर्ण है ;
- (iv) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामनिर्देशन पेपर पर, यथास्थिति, उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन पेपर अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह ऐसे अस्वीकार करने के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित में अभिलिखित करेगा ;
- (v) रिटर्निंग आफिसर कार्यवाहियों के स्थगन के सिवाय जब ऐसी कार्यवाहियों को दंगों या कलह या उसके नियंत्रण से परे कारणों के अस्थगित या बाधित किया गया हो, अनुज्ञात नहीं करेगा ;
- 9. रिटर्निंग आफिसर द्वारा यथाविनिश्चित वैद्य नामनिर्देशनों की सूची को अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार और नामनिर्देशन पेपरों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पते को प्रदर्शित किया जाएगा या उसी दिन जिस दिन नामनिर्देशन पेपरों की संवीक्षा पूरी होती है, प्रकाशित किया जाएगा ।
- 10. कोई भी अभ्यर्थी उसके द्वारा पूर्व नगर विक्रय सिमिति के रिटर्निंग आफिसर को हस्ताक्षरित सूचना द्वारा और उसके नामनिर्देशन पेपर को प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय उस दिन के पश्चात् जिसको वैध नामनिर्देशनों को प्रकाशित किया जाता है, पांच बजे अपराह्न से पूर्व अपने नाम को वापस ले सकेगा और अभ्यर्थी द्वारा नाम वापिस लेने की एक बार दी गई सूचना अप्रतिसंहरणीय होगी।
- 11. यदि उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके नामनिर्देशन पेपरों को वैध घोषित किया गया है, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं है तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे सभी अभ्यर्थियों के नामों की ऊपर पैरा 10 में नाम वापिस लेने के दिन अंतिम घंटें के पश्चात् घोषणा करेगा और घोषित करेगा कि वे नगर विक्रय समिति में सम्यकता निर्वाचित हो गए हैं। यदि अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके नाम वैध हैं, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक हैं तो रिटर्निंग आफिसर इस प्रयोजन के लिए नियत तारीख को निर्वाचन संचालित करने का प्रबंध करेगा। रिटर्निंग आफिसर निर्वाचनों के संचालन के लिए यथा आवश्यक एक या अधिक मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा। इस्तेमाल किए जाने वाले मतपत्र इस अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप 2 में यथाविहित होंगे।
- 12. स्थानीय प्राधिकरण रिटर्निंग आफिसर को मतदान पेटी, मतपत्र, पथ विक्रेताओं की सूची या मतदाताओं की सूची और ऐसी अन्य वस्तुओं, जो निर्वाचनों का संचालन करने के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगा। मत पेटियों का संनिर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि मतपत्र उसमें डाले जा सकें किंतु मत पेटियों का ताला खोले बिना उसमें से निकाले नहीं जा सके। निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर को पत्र द्वारा दोनों स्थानों पर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, जहां मतदान किया जा रहा है, मतदाताओं की पहचान करने और मतदान के अभिलेखन को देखने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे पत्र में संबंधित अभिकर्ता की लिखित सहमति इस अनुसूची से उपाबद्ध प्ररूप 3 में अंतर्विष्ट होगी।
- 13. किसी व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर, जहां निर्वाचनों का संचालन किया जा रहा है, मतों के लिए संयाचना करना प्रतिषिद्ध है ।

- 14. मतदान प्रारंभ से तुरंत पूर्व रिटर्निंग आफिसर रिक्त मतपेटियों को ऐसे व्यक्तियों को, जो उस समय उपस्थित हों, दिखाएगा और तब उन पर ताला लगा देगा तथा अपनी मुहर चस्पा करेगा । अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता भी स्वयं की अपनी महर चस्पा कर सकेगा यदि वह ऐसी वांछा करे ।
- 15. प्रत्येक पथ विक्रेता या मतदाता, जो अपने मत देने के अधिकार को उपयोग करना चाहता है, को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में लिखे गए मत लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अंतर्विष्ट करने वाले मतपत्र की या तो मुद्रित, टाइप लिखित या साइक्लोस्टाइल रूप में सुविधानुसार आपूर्ति की जाएगी। मत पत्र पर नगर विक्रय समिति की भी मुहर होगी और उस पर रिटर्निंग आफिसर के अद्याक्षर होंगे और उसमें एक और स्तंभ होगा जिसमें मतदाता उन व्यक्तियों के नामों के आगे [x] का चिह्न लगाएगा जिन्हें वह मत देना चाहता है।
- 16. प्रत्येक मतदान केंद्र और जहां किसी केंद्र पर एक से अधिक मतदान बूथ हैं, ऐसे प्रत्येक बूथ पर एक पृथक् कक्ष होगा जिसमें पथ विक्रेता या मतदाता अपने मत गुप्त रूप से अभिलिखित कर सकेगा ।
- 17. किसी पथ विक्रेता या मतदाता को तब तक कोई मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि संबंधित पथ विक्रेता या मतदाता वही व्यक्ति है, जो उसे प्रस्तुत की गई सूची में नोट किया गया है। ऐसे मतपत्र की प्राप्ति पर पथ विक्रेता या मतदाता इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए मतदान कक्ष की ओर बढ़ेगा तथा, यथास्थिति, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम के आगे [x] उपदर्शित करेगा, जिनके पक्ष में वह मत देना चाहता है और मत पत्र को इस प्रयोजन के लिए रखी गई मतपेटी में अत्यंत गोपनीयता के साथ डाल देगा यदि अंधता या अन्य शारीरिक दुर्बलता या अशिक्षा के कारण पथ विक्रेता या मतदाता या मतपत्र पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो निर्वाचन अधिकारी और जहां ऐसा कोई निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, रिटर्निंग आफिसर उससे उस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का पता लगाएगा, जिनके पक्ष में वह मत देने की वांछा रखता है, उसकी ओर से मतपत्र पर [x] का चिह्न लगाएगा और मतपत्र पर मत पेटी में डाल देगा।
- 18. यदि मत देने के किसी प्रक्रम पर कार्यवाहियों में व्यवधान पड़ता है या किसी दंगे या हंगामें के कारण बाधा उत्पन्न होती है या ऐसे निर्वाचनों में किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराना संभव नहीं है तो रिटर्निंग आफिसर को मतदान रोकने की शक्ति होगी, ऐसी कार्रवाई के लिए कारणों को नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करेगा।
- 19. किसी पथ विक्रेता या मतदाता को मतदान के लिए नियत समय के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा किन्तु कोई मतदाता, जो उस परिसर में मतदान के लिए नियत समय के पूरा हो जाने से पूर्व प्रविष्ट हो जाता है, जहां मतपत्र जारी किए जा रहे हैं उसे मतपत्र जारी किया जाएगा और मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
- 20. मत पत्रों की मतदान समाप्त होने के तुरंत पूर्व गिनती की जाएगी। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो मत पेटियों को रिटर्निंग आफिसर या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की मुहर से सील कर दिया जाएगा, यदि वे ऐसी वांछा करें तो, और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्थानीय प्राधिकरण के पास जमा कर दिया जाएगा, रिटर्निंग आफिसर तब मतगणना के लिए अगले दिन की घोषणा करेगा। मतपत्रों की रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन गणना की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को मतगणना के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार होगा। किन्तु मतगणना के समय किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की अनुपस्थित से मतगणना और परिणामों की रिटर्निंग आफिसर द्वारा उद्घोषणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मत और निर्वाचनों के परिणाम की उद्घोषणा रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतगणना के परा होने के यथाशीघ्र की जाएगी।
- 21. निर्वाचनों के परिणाम को नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में भी अभिलिखित किया जाएगा तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा सत्यापित किया जाएगा और उन्हें नगर विक्रय समिति के सूचना पट पर भी तुरंत अधिसूचित किया जाएगा।
- 22. समान संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में रिटर्निंग आफिसर सिक्का उछालकर निर्वाचनों के परिणाम की उद्घोषणा करेगा ।
  - 23. मतपत्र को रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि-
  - (i) इसके ऊपर ऐसा कोई चिन्ह लगा जिससे पथ विक्रेता के मत की पहचान हो सकती है;
  - (ii) इस पर नगर विक्रय समिति की मुहर नहीं है या रिटर्निंग आफिसर के अद्याक्षर नहीं है;

- (iii) उस पर मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह ऐसे स्थान पर ऐसी रीति में लगाया गया है जिससे यह संदेहास्पद हो गया है कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है;
- (iv) इस प्रकार नष्ट या विरूपित है कि एक असली मत पत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है।
- 24. निर्वाचन का परिणाम घोषित करने के पश्चात् निर्वाचन का परिणाम और उस पर एक रिपोर्ट को स्थानीय प्राधिकरण के साथ-साथ सरकार को रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणाम घोषित करने के पश्चात् तीन दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा ।
- 25. निर्वाचन का परिणाम घोषित करने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित मत पत्र और अभिलेखों को स्थानीय प्राधिकरण को एक मुहरबंद लिफाफे में देगा और उसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अगले निर्वाचन के परिणामों के उपलब्ध होने तक परिरक्षित रखा जाएगा और तत्पश्चात् स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पुन: नष्ट कर दिया जाएगा और निर्वाचनों के अभिलेख को सुपुर्द करने और लेने को सरकार के साथ- साथ स्थानीय प्राधिकरण को रिटर्निंग आफिसर को अपनी रिपोर्ट के साथ भेजा जाएगा ।

### अनुसूची प्ररूप 1

### (अनुसूची का पैरा 5)

नगर विक्रय सामात क सदस्या का निवाचन कालए नामानदशन प्ररूप
सेवा में,
रिटर्निंग आफिसर
 नगर विक्रय समिति
महोदय,
मैंपत्नी/पुत्र/पुत्रीशी/श्रीमती/सुश्रीपथ विक्रेता, नगर विक्रय समिति की अधिकारित के क्षेत्र में विक्रय कर रहा हूँ (विक्रय रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या) एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री पत्नी/पुत्र/पुत्री और जो उक्त नगर विक्रय समिति के पथ विक्रेता हैं (विक्रय/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या) के नाम की उक्त समिति के सदस्य के पद के के लिए तारीखको होने वाले निर्वाचन वे लिए प्रस्ताव करता हूँ ।
प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर
विक्रय रजिस्ट्रीकरण/प्रमाण पत्र संख्या
मैं,पत्नी/पुत्र/पुत्रीशी/श्रीमती/सुश्री नगर विक्रय समिति का विक्रय रजिस्ट्रीकरण/प्रमाणपत्र संख्याउक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।
समर्थनकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
विकार रिजस्वीकरण/प्रमाण एव संख्या

### अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

	पत्नी/पुत्र/पुत्रीशी/श्रीमती/सुश्री नगर विक्रय समिति का विक्रय
रजिस्ट्री प्रदान क	करण/प्रमाणपत्र संख्या नगर विक्रय समिति के निर्वाचन में, अपने नामनिर्देशन के लिए सहमति ज्ता हूँ।
मैं यह ः	और घोषणा करता हूँ कि –
(i)	मैं नगर विक्रय समिति का कर्मचारी नहीं हूँ ;
(ii	) मैं मत देने के लिए पात्र हूँ ;
(ii	i) मैंने, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) के अधीन बनाए गए दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र , पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 के उपबंधों के अधीन उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए कोई निरर्हता उपगत नहीं की है।
	अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर
	विक्रय रजिस्ट्रीकरण/प्रमाण पत्र संख्या
	(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)
	पूर्वाह्न/अपराह्न को नाम निर्देशन प्ररूप प्राप्त किया ।
	रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर
	मुहर
	अभिस्वीकृति
	श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक का नाम निर्देशन प्ररूपको अपराह्न को होने वाले निर्वाचन के लिए प्राप्त किया
	रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर
	मुहर

### अनुसूची

### प्ररूप 2

### (अनुसूची का पैरा 11)

### नगर विक्रय समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए मत पत्र

नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मत पत्र जिसका दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 के नियम 14 से उपाबद्ध अनुसूची 1 के अधीन संचालित किया जाना है।

सेवा में,			
नगर वि	गेक्रय समिति		
	(पता)		
			(प्रतिपर्ण)
पद के	लिए मत पत्र		
निर्वाचन की तारीख			
क्रम संख्या			
विक्रय प्रमाण पत्र संख	या		
किसी एक अभ्यर्थी के	सामने (X) का चिह्न लगाएं		
क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	विक्रय प्रमाण पत्र संख्या	मत देने का चिह्न

## अनुसूची

### प्ररूप 3

### (अनुसूची का पैरा 12)

### निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता का नाम निर्देशन

संख्या का लड़ रहा ह	पुत्र/पत्ना/पुत्रा/श्रामता/सुश्राप्रमाण पत्र) की अधिकारिता के क्षेत्र इं, निम्नलिखित व्यक्ति कोको आयोजि निर्वाचन में अपना निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिव	में विक्रय कर त होने वाले	र रहा हूँ उक्त समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन (तारीख विनिर्दिष्ट करें) नगर विक्रय समिति के
			अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर
			विक्रय संख्या का प्रमाण पत्र
मैं लिए सहम	पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्रीमती/सुश्री त हुँ	.पता	निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता बनने के
			अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
	प्ररूप	<b>"ক"</b>	
शिकाय	- त निपटान और विवाद समाधान समिति को पथ विः	<b>7 देखें]</b> <b>केताओं की</b> शि गवेदन	कायतों के निपटान या विवादों के समाधान के
1.	आवेदक का नाम और पता	:	
2.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/मामला संख्या/आईडी संख्या	:	
3.	विक्रय का स्थान	:	
	(अवस्थान, जोनवार आदि के पूरे ब्यौरे दें)		
4.	विक्रय की प्रकृति (समुचित पर सही का निशान लगाएं)	:	
	(क) लेखन सामग्री		(क)
	(ख) मोबाइल		(ख)
	(ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य है तो श्रेणी को विनिर्दिष्ट करें)		(ग)
5.	विक्रय प्रमाण पत्र को जारी करने की तारीख (विक्रय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, यदि जारी किया गया हो तो)	:	

[भाग II—र	প্রण্ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधार	ण 17
6.	शिकायत निपटान या विवाद के सम आधार (पूरा ब्यौरा दें और और पृष्ठ यदि अपेक्षित हो तो )		
			आवेदक के हस्ताक्षर
मैं अनुसार स स्थान तारीख		<b>घोषणा</b> ता हूँ कि ऊपर किया गया	कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के
टिप्पण: कृ	पया आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्त	गविज संलग्न करें ।	आवेदक के हस्ताक्षर
		प्ररूप "ख"	

### [नियम 9 देखें] शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के विनिश्चय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	आवंदक का नाम और पता 	:	
2.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/मामला संख्या/आईडी संख्या	:	
3.	विक्रय का स्थान (अवस्थान, जोनवार आदि के पूरे ब्यौरे दें)	:	
4.	विक्रय की प्रकृति (समुचित पर सही का निशान लगाएं)  (क) लेखन सामग्री  (ख) मोबाइल  (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य है तो श्रेणी को विनिर्दिष्ट करें)	:	(क)       (ख)       (ग)
5.	सिमति का विनिश्चय विवाद समाधान सिमिति के विनिश्चय की निम्नलिखित को प्रदान करते हुए प्रति संलग्न करें-	:	

आवेदक के हस्ताक्षर.....

	(क) विनिश्चयों की संख्या ; और		
	(ख) विनिश्चयों की तारीख)		
6.	अपील के आधार (पूरा ब्यौरा दें और पृष्ठ संलग्न करें यदि अपेक्षित हो तो )		
			आवेदक के हस्ताक्षर
	घोष	ग्णा	
मैं अनुसार स	आवेदक सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊप त्य है ।	र किया गया	कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के
स्थान तारीख			

टिप्पण: कृपया आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

### प्ररूप "ग"

### [नियम 10 देखें]

### नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	आवेदक का नाम और पता	:	
2.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/मामला संख्या/आईडी संख्या	:	
3.	विक्रय का स्थान (अवस्थान, जोन वार आदि के पूरे ब्यौरे दें)	:	
4.	विक्रय की प्रकृति (समुचित पर सही का निशान लगाएं)  (क) लेखन सामग्री  (ख) मोबाइल  (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य है तो श्रेणी को विनिर्दिष्ट करें)	:	(本)
5.	विक्रय प्रमाण पत्र को जारी करने की तारीख (विक्रय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, यदि जारी किया गया हो तो)	:	

6.	उस आदेश की प्रकृति जिसके विरुद्ध अपील की गई है) समुचित पर सही का निशान लगाएं) (क) विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करना ; (ख) विक्रय प्रमाण पत्र को रद्द करना ; या (ग) विक्रय प्रमाण पत्र को निलंबित करना ।	;	(क)
7.	अपील के आधार (पूरा ब्यौरा दें और और पृष्ठ संलग्न करें यदि अपेक्षित हो तो )		
	घोर	त्रणा	आवेदक के हस्ताक्षर
मैं अनुसार स	आवेदक सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपग् त्य है ।	र किया गया व	कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के
स्थान तारीख			आवेदक के हस्ताक्षर
टिप्पण: कृ	पया आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न	करें ।	

### प्ररूप "घ"

### [नियम 25 देखें]

### नगर विक्रय समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिटर्न

(I)	सर्वेक्षण-	•	
	(क) वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किए गए पथ		
	विक्रेताओं की संख्या ;		
	(ख) क्षेत्र और वार्ड का नाम जहां सर्वेक्षण कार्य		
	पूरा किया गया है सहित सर्वेक्षण पूरा करने की		
	तारीख;		
	(ग) क्षेत्र और वार्ड का नाम जहां सर्वेक्षण कार्य चल रहा है सहित सर्वेक्षण आरंभ करने की तारीख और उसके संभवत: पूरा होने की तारीख;		
	(घ) वार्ड वार रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं की वर्ष के अंतिम दिन की संख्या ;		

(II)	विक्रय प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान-	
	(क) वर्ष के दौरान विक्रय का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या (वार्ड वार) ;	
	(ख) वर्ष के दौरान निपटान की गई आवेदनों की संख्या (वार्ड वार) जिसमें से-	
	(i) स्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या ;	
	(ii) नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या ;	
	(iii) वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या	
(III)	विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन के मामले-	
	(क) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें वर्ष के दौरान विक्रय के प्रमाण पत्र को निलंबित करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई	
	(ख) वर्ष के दौरान निलंबन के निपटान किए गए मामले जिनमें-	
	(i) निलंबित किए गए विक्रय के प्रमाण पत्र की संख्या ;	
	(ii) बंद किए गए मामलों की संख्या और जारी किए गए विक्रय के प्रमाण पत्र ;	
	(iii) वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	
(IV)	विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन का प्रतिसंह्रण करने के लिए आवेदन- (क) वर्ष के दौरान विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन का प्रतिसंह्रण करने के लिए आवेदनों की संख्या ;	
	(ख) ऊपर (क) में प्राप्त आवेदनों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया जिनमें -	
	(i) ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें निलंबन का प्रतिसंह्रण किया गया और विक्रय प्रमाण पत्र को पुन: विधिमान्य किया गया ;	

	(ii) बंद किए गए मामलों की संख्या और जारी रखा गया निलंबन ;		
	(ग) ) वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार प्रतिसंह्लण के लिए आवेदनों की संख्या;		
( <b>V</b> )	विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले-	:	
	(क) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें वर्ष के दौरान विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई;		
	(ख) वर्ष के दौरान विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के निपटाए गए मामलों की संख्या जिनमें –		
	(i) रद्द किए गए विक्रय प्रमाण पत्रों की संख्या ;		
	(ii) बंद किए गए मामलों की संख्या और जारी रखे गए प्रमाण पत्र ;		
	(ग)) वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या;		
(VI)	वर्ष के दौरान आयोजित नगर विक्रय समिति की बैठकों की संख्या	:	
(VII)	वार्ड, क्षेत्र/कालोनी/मार्ग, विक्रय जोन के मानचित्र सहित पहचाने गए विक्रय जोनों की वार्डवार सूची तथा उनकी धारण क्षमता	•	
(VIII)	वार्ड वार रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या जिन्हें अधिसूचित विक्रय जोनों में शामिल किया गया है	:	
(IX)	अन्य कार्यकलाप-	ī	
	(1) (क) वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों की संचालित की गई सामाजिक संपरीक्षा ;		
	(ख) वर्ष के दौरान प्रत्यय, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की पथ विक्रताओं के लिए अन्य कल्याणकारी स्कीमों को उपलब्ध कराने के लिए किए गए संवर्धनकारी उपाय ;		
	(ग) वर्ष के दौरान लोगों में पथ विक्रेताओं की अर्थव्यवस्था में भूमिका के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उठाए गए कदम।		

(2) यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण नगर विक्रय समिति से ऐसे रिटर्न ऐसे प्ररूप में	
जिसकी समय-समय पर मांग की जाए प्रस्तुत	
करने की अपेक्षा कर सकेगी ।	

[फा.सं. 11028/3/2011-यूएसडी] बी. के. अग्रवाल. संयक्त सचिव

## MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2015

**G.S.R.** 586(E).—In exercise of the powers conferred by Section 36 read with sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of Section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014), the Central Government, hereby makes the following rules for the Union Territory of Chandigarh, namely:—

#### **CHAPTER I**

#### **PRELIMINARY**

- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the 'Union Territory of Chandigarh' Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014);
  - (b) "Bye-laws" mean the bye-laws made under section 37 of the Act;
  - (c) "Form" means a form appended to these rules;
  - (d) "Government" means the Administrator of the Union Territory;
  - (e) "Grievance redressal and dispute resolution committee" means a committee constituted by the Government under sub-section (1) of Section 20 of the Act for the redressal of grievances or resolution of disputes;
  - (f) "local authority" means the local authority as defined under clause (c) of sub-section (1) of Section 2 of the Act;
  - (g) "Municipal Commissioner" means the Commissioner of a Municipal Corporation or Chief Officer of a Municipal Council and includes the Vice Chairman of the Union Territory Development Authority, if any; or as the case may be, the Chief Executive Officer of the Cantonment Board;
  - (h) "rule" means rules made under section 36 of the Act;
  - (i) "Schedule" means a schedule appended to these rules or the Act, as the case may be;
  - (j) "scheme" means a scheme framed by the Central Government under section 38;
  - (k) "section" means a section of the Act;
  - (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

#### **CHAPTER II**

### REGULATION OF STREET VENDING

**3. Prescription of age for issue of certificate of vending.-** A street vendor who has completed the age of fourteen years shall be issued a certificate of vending in the manner provided under section 4.

#### **CHAPTER III**

### DISPUTE REDRESSAL MECHANISM

- **4. Constitution of Grievance redressal and dispute resolution committees.-** (1) There shall be a Grievance redressal and dispute resolution committee for each local authority, constituted by the Government under subsection (1) of Section 20 of the Act, comprising of a Chairperson, who has been a civil judge or a judicial magistrate and two other professionals as members.
  - (2) The Chairperson and members of a Grievance redressal and dispute resolution committee shall be appointed by the Government, for a period of five years:

Provided that no Chairperson shall hold office as such after he has attained the age of sixty-seven years.

- 5. Qualifications and experience for appointment as member in a Grievance redressal and dispute resolution committee.- A person shall be qualified to be appointed as a professional member in a Grievance redressal and dispute resolution committee, if he,-
  - (i) is above thirty five years but is not more than sixty five years of age; and
  - (ii) possesses a Bachelor's degree from a recognised University; and
  - (iii) is a person of ability, integrity and standing and has adequate knowledge or experience of, at least, ten years in social work or in dealing with the problems relating to street vendors or of public affairs or of municipal or public administration;
- 6. Salaries and other allowances and terms and conditions of Chairperson and member of Grievance redressal and dispute resolution committee.- (1) The Chairperson and members of the Grievance redressal and dispute resolution committee shall receive salary, allowances and other perquisites as may be notified by the Government from time to time
  - (2) The Government may remove from the office, the Chairperson and members of a Grievance redressal and dispute resolution committee if he,-
    - (a) has been adjudged an insolvent; or
    - (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or
    - (c) has become physically or mentally incapable of action as such Chairperson or member, as the case may be; or
    - (d) has acquired such financial other interests as is likely to affect prejudicially his functions as the chairperson or a member, as the case may be; or
    - (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the Chairperson or member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of sub-rule (2) except on an inquiry held by the Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf.

- (3) The terms and conditions of the service of the Chairperson and members of the Grievance redressal and dispute resolution committee shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.
- 7. Form and manner of making application to Grievance redressal and dispute resolution committee.- (1) Every application for redressal of a grievance or resolution of a dispute under sub-section (2) of Section 20 of the Act shall be in Form 'A'.
- (2) The application shall be signed by the applicant and presented by him in person or through his authorised representative to the Grievance redressal and dispute resolution committee or such other person as may be authorised by the committee in this behalf.
- (3) The application shall be filed in three sets and shall be accompanied by a fee of rupees one hundred.
- (4) The application shall be accompanied by a copy of the order or notice, if any, against which the application is made and other relevant documents.

(5) Such application shall be filed by the street vendor within thirty days from the date of occurrence of any incident causing the grievance or dispute:

Provided that the Grievance redressal and dispute resolution committee may condone the delay in case it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from preferring the application within the prescribed time.

- **8. Manner of verification of application and enquiry**.- (1) Every application for grievance redressal, on receipt, shall be entered and numbered in seriatum by the person authorised in this behalf by the Grievance redressal and dispute resolution committee in a register to be kept for this purpose.
- (2) The person authorised in this behalf by the Grievance redressal and dispute resolution committee, after making an entry in the register shall put up the application before the committee.
- (3) The Grievance redressal and dispute resolution committee shall fix a date for hearing of the application, which shall not be later than fifteen days from the date of filing of the application, and shall issue notice of the hearing to the parties or shall cause a notice to be issued.
- (4) The Grievance redressal and dispute resolution committee while issuing a notice under sub-rule (2) shall call upon the respondent to submit a written statement and the notice shall contain a statement to this effect.
- (5) On the date so fixed for the appearance of the parties, the Grievance redressal and dispute resolution committee may call upon the applicant to remedy the defects, if any, or may call upon the parties to furnish relevant records or such other documents or evidence as it may deem fit and proper within such period as may be specified by it.
- (6) The Grievance redressal and dispute resolution committee may also order for a field enquiry in connection with the contentions made by the applicant and respondent and also with reference to the records submitted before it.
- (7) The Grievance redressal and dispute resolution committee, after hearing both the parties and examining the record of the case shall decide the application and pass such orders as it may deem fit and proper within sixty days from the date of presentation of the application:

Provided that during the hearing of the case if the Committee is satisfied that a situation exists which warrants that an interim relief should be provided, the Committee may, until the conclusion of such case or until further orders, pass such interim orders as it deems necessary.

- (8) The Grievance redressal and dispute resolution committee may also explore the possibility of a settlement between the parties and in case the parties arrive at a settlement, the committee shall record the settlement, which shall be signed by the parties or the authorised representatives or officers and shall dispose of the application in terms of such settlement.
- (9) The Grievance redressal and dispute resolution committee shall not entertain an application where,-
  - (a) the application is anonymous or it contains general and vague allegations;
  - (b) the matter is sub-judice in any court of law, tribunal or a judicial or quasi-judicial authority;
  - (c) the matter is beyond the purview of the Act;
  - (d) the applicant has no locus standi to file the application.

### CHAPTER IV

#### APPEALS

9. Appeal against order or decision of Grievance redressal and dispute resolution committee.- (1) An appeal against an order or decision of a Grievance redressal and dispute resolution committee may be preferred by an aggrieved person, in Form 'B', to the appellate authority constituted by the concerned local authority, comprising of the Mayor or President as the Chairperson and two other members of the local authority as decided in the General Board meeting, within thirty days from the date of communication of such order or decision appealed against:

Provided that the appellate authority may condone the delay in case it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from preferring the application within the prescribed time.

- (2) The appeal shall be in the form of a memorandum and shall be signed by the appellant and presented by him in person or through his authorised representative to the concerned local authority.
- (3) The memorandum of appeal shall be accompanied by original order or certified copy of the order, if any, against which appeal is preferred.
- (4) The appeal shall be filed in three sets and accompanied by a fee of rupees two hundred.
- (5) No such appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the respondent or respondents, as the case may be, and proof of such service has been filed.

- (6) No appeal shall be entertained where the order has been passed by the Grievance redressal and dispute resolution Committee in terms of the settlement arrived between the parties.
- **10. Appeal from decision of Town Vending Committee.-** (1) An appeal under section 11 against any decision of a Town Vending Committee with respect to issue of certificate of vending or cancelation or suspension of certificate of vending shall be preferred before the appellate authority constituted by the concerned local authority comprising of the Mayor or President as the Chairperson and two other members of the local authority as decided in the General Board meeting, in Form 'C' within thirty days from the date of communication of the order appealed against:

Provided that the appellate authority may condone the delay in case it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the prescribed time:

Provided further that in the absence of Chairperson any one of the members designated by the Chairperson may chair the meeting of the appellate authority.

- (2) The appeal shall be in the form of a memorandum in Form 'C' and shall be signed by the appellant and presented by him in person or through his authorised representative, either in English, Hindi or the local language, as preferred by the appellant.
- (3) The memorandum of appeal shall be accompanied by the original or certified copy of the order against which appeal is preferred.
- (4) The appeal shall be filed in three sets and accompanied by a fee of rupees two hundred.
- (5) No appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the Town Vending Committee which had made the order appealed against, prior to filing of such appeal and proof of such service has been filed along with the appeal.
- 11. Procedure for disposal of appeals by the local authority.- (1) The officer or the person authorised in this behalf by the concerned local authority shall make an entry of the appeal in the register kept for the purpose by the concerned local authority with the date on which it was presented.
- (2) The appeal shall be put up before the Appellate Authority constituted by the concerned local authority which shall fix a date for hearing of the appeal, which shall not be later than fifteen days from the date of filing of the application, and shall cause a notice of the hearing to be served upon the parties.
- (3) The appellate authority shall on the basis of submissions made before it by the parties and the records of the case and on the basis of field enquiry, if any, ordered to be conducted by the appellate authority, pass such order, as it thinks fit, with reasons to be recorded in writing, confirming, modifying or annulling the order appealed against within sixty days from the date of receipt of the appeal by the local authority:

Provided that during the hearing of the case, if the appellate authority is satisfied that a situation exists which warrants that an interim relief should be provided, the appellate authority may, until the conclusion of such case or until further orders, pass such interim orders as it deems necessary.

#### **CHAPTER V**

### TOWN VENDING COMMITTEE

**12. Constitution of Town Vending Committee.-** (1) In each local authority one Town Vending Committee shall be constituted by the Government:

Provided that the Government, if it considers necessary, on the request of the concerned local authority may provide for constitution of more than one Town Vending Committee for each local authority after specifying their jurisdiction.

(2) The constitution of a Town Vending Committee shall be as follows, namely:-

S1. No.	Government Department and other Bodies	No. of members	
(a)	Government Department –		
(i)	Chairperson (Municipal Commissioner or	01	
	Chief Executive Officer)		
(ii)	Representative of Police (preferably from	01	
	the Traffic Division)		
(iii)	Medical Officer of Health, Municipal Corporation Chandigarh	01	
(iv)	Representative of Urban Planning Authority, Union Territory administration, Chandigarh	01	
(v)	Superintendent of Police, Union Territory administration, Chandigarh	01	

(b)	Other Bodies –		
(i)	Street vendors (one-third of whom shall be women vendors, with due representation of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and persons with disabilities)	05	
(ii)	Non-government organisations and community based	01	
	Organisations		
(iii	) Resident Welfare Associations	01	
	Total	12	

(3) The members of the Town Vending Committee other than the elected members shall be nominated by the Government:

Provided that nomination of Government members shall be preferred from amongst persons who are dealing with street vendors or related activities:

Provided further that nomination of members representing non-governmental organisations or community based organisations or resident welfare associations shall be carried out on the basis of such criteria as may be laid down by the Government, after inviting applications, as such, by publishing the same in at least two local newspapers or publicising in any other manner.

- 13. Election of members of Town Vending Committee from amongst street vendors.-(1) The local authority shall by a notification express its intention to conduct elections for the members of a Town Vending Committee representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the concerned local authority.
- (2) The concerned local authority shall appoint a returning officer for conducting the election under its jurisdiction.
- **14. Manner of election of members of Town Vending Committee from amongst street vendors.-** (1) The returning officer appointed under sub-rule (2) of rule 13 shall, conduct the elections in the manner provided under the Schedule appended to these rules.
- (2) A street vendor shall be disqualified to be elected to a Town Vending Committee if, he is,-
  - (i) a convict of an offence involving moral turpitude;
- (ii) is physically and, or, mentally incapable of discharging his duties as a member of a Town Vending Committee.
- (3) The names of the elected members shall be intimated by each local authority to the Government which shall upon receipt of such names along with other members nominated by it notify the constitution of the Town Vending Committee in each local authority.
- **15. Term of members of Town Vending Committee.**-(1) The term of the members of the Town Vending Committee, other than the Government officials who shall be members in ex-officio capacity, shall be five years from the date of their election or nomination, as the case may be.
- (2) The process of electing or nominating, as the case may be, of the members shall be completed before the expiry of their term.
- **16. Removal of a member of Town Vending Committee.-** Any member of a Town Vending Committee may be removed by the Government from the committee, if he,
- (a) persistently makes defaults in the performance of his duties imposed on him under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers;
- (b) remains absent for three consecutive meetings of the Committee without the permission of the Chairperson;
- (c) is convicted of any criminal case by any court of law:

Provided that such member shall be given a reasonable opportunity of being heard before his removal.

17. Method of filling vacant post.- (1) Where any vacancy occurs in a Town Vending Committee due to resignation, death, removal or otherwise of any member, other than a street vendor, the same procedure as specified in rule 12 shall be followed to fill up such vacancy and the member so nominated shall continue to be a member for the

remaining period of term of that member in whose place he has been nominated.

- (2) Where any vacancy occurs in a Town Vending Committee due to resignation, death, removal or otherwise of any member who is a street vendor, the local authority shall fill up that vacancy based on the election results conducted as per rule 14 and the member so elected shall continue to be a member for the remaining period of term of that member in whose place he has been elected.
- 18. Allowances to members of Town Vending Committee.- The allowances payable to the members of a Town Vending Committee, who do not hold any office of profit, shall be at the rate of rupees one thousand only for attending each meeting of the Town Vending Committee, or as may be fixed by the concerned local authority from time to time.
- 19. Meetings of Town Vending Committee.- (1) A Town Vending Committee shall ordinarily hold at least one meeting within a period of three months or at any such intervals as the Chairperson of the Town Vending Committee may decide for the transaction of its business:

Provided that the first meeting of a Town Vending Committee shall be convened by the Chairperson within forty five days of its constitution:

Provided further that a requisition meeting may be called by the Chairperson on a specific issue on the request of not less than one-third of the members of the Committee, and the meeting shall be convened within seventy-two hours after receiving the request so made.

- (2) The meetings of a Town Vending Committee shall be held at the headquarters of the local authority or at such place within the jurisdiction of the local authority as may be decided by the Chairperson.
- (3) A notice shall be issued before seven days of a scheduled meeting to all the members of the Town Vending Committee, along-with the agenda of the meeting.
- (4) The quorum for the meeting shall be two-third members of the total strength of the Town Vending Committee.
- (5) No meeting shall be held in the absence of the quorum and where there is no quorum, the meeting shall be adjourned.
- **20. Procedure for transaction of business of Town Vending Committee.** (1) The Town Vending Committee may follow such procedure for transaction of its business as may be decided by the Chairperson in consultation with the members.
- (2) Subject to the provisions of the Act and these rules and notwithstanding anything contained in the bye-laws, the resolution passed in a meeting of a Town Vending Committee shall be by not less than two-thirds of the members present and voting in the meeting.
- (3) The Chairperson shall ensure that the minutes of each meeting are recorded which shall be signed by him, circulated amongst the members and published on its website, if available, within one month of the meeting of the Committee.
- **21. Functions of Town Vending Committee.-** Without prejudice to any other provisions of the Act, a Town Vending Committee shall perform the following functions, namely:-
- (a) to conduct surveys within the area of its jurisdiction to identify street vendors in the area and ensure their accommodation in accordance with the norms, plan and the holding capacity within the area of its jurisdiction;
- (b) to issue certificate of vending to an eligible street vendor after obtaining an undertaking from him to comply with the terms and conditions subject to which the certificate of vending is issued for issue of certificate of vending, the Town Vending Committee shall follow the criteria as specified in the scheme framed under sub-section (1) of section 38 of the Act:
- (c) to cancel or suspend certificate of vending of street vendors who commit breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for regulating street vending under the Act or these rules or scheme made under the Act or where the Town Vending Committee is satisfied that such certificate of vending has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud:

Provided that any order for cancellation or suspension of a certificate of vending by the Town Vending Committee shall specify the reasons for such cancellation or suspension in the written order communicated to the vendor;

- (d) to recommend to the local authority an area in its jurisdiction for declaration of the same to be a non-vending area;
- (e) to identify sites and spaces for vending;
- (f) to regulate timings for vending to ensure non-congestion of public spaces;
- (g) to ensure enforcement of corrective mechanism against defiance by street vendors;
- (h) to follow up cases of dispute pending before the dispute redressal committee and the local authority;

- (i) to furnish recommendations to the local authority in relation to the preparation of plan to promote the vocation of street vendors;
- (j) to hold its meetings and take appropriate decisions to ensure efficient discharge of its functions;
- (k) to associate technical and professional persons from the Government or other non-government organisations with itself on temporary basis for obtaining assistance or advice in carrying out any of the provisions of the Act;
- (l) to publish the street vendor's charter in at least one local language, Hindi and English newspapers of repute and displayed in the office of Town Vending Committee and other offices of the Urban Local Bodies as required, specifying therein the time within which the certificate of vending shall be issued to the street vendors and time within which such certificate of vending shall be renewed and other activities to be performed within the time limit specified therein;
- (m) to maintain up to date records of registered street vendors and street vendors to whom certificate of vending has been issued in accordance with the provisions of the Act and publish on the website, if available;
- (n) to carry out social audit of its activities under the Act or these rules or the scheme made thereunder;
- (o) to furnish from time to time to the Government and the local authority such returns as prescribed under the Act and these rules;
- (p) to furnish comments to the Government for undertaking promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors;
- (q) to assist the Government to raise awareness among the public about the role of the street vendors in the economy; and
- (r) to perform such other functions for effective implementation of the Act and these rules as may be delegated to the Town Vending Committee by the local authority and by the Government.
- **22. Power of Town Vending Committee for temporary association of expert persons.-**(1) Subject to the provisions of the Act, a Town Vending Committee may associate any suitable person of repute having adequate knowledge and experience in the field, as expert to obtain technical or professional advice on matters relating to the street vendors.
- (2) The person to be associated as expert under sub-rule (1) shall be selected in a fair and transparent manner and by following the procedure for engagement of consultants and experts as technical or professional experts in Government Departments.
- (3) The person associated as expert under sub-rule (1) shall be paid allowances as determined by the local authority.
- (4) The person associated as expert under sub-rule (1) may take part in the meetings of the Town Vending Committee, but such persons shall not have a right to vote in the meetings.
- **23. Employees of Town Vending Committee -** The local authority concerned shall, when so requested by a Town Vending Committee, make available to that Committee such employees as the local authority considers necessary for discharge of the functions conferred or imposed on the Committee under rule 21 of these rules.

#### **CHAPTER VI**

### **MISCELLANEOUS**

- **24.** Manner of maintenance of records of street vendors by Town Vending Committee.- Every Town Vending Committee shall maintain up to date records as specified in the scheme under sub-section (2) of section 26 of the Act in electronic form or manually or in both forms, as may be decided by the local authority.
- **25. Town Vending Committee to furnish returns.-** (1) Every Town Vending committee shall prepare and furnish to the Government and local authority periodical returns for each year with details as required in Form 'D'.
- (2) The Government or the local authority, as the case may be, may require a Town Vending Committee to furnish such other return or returns in such proforma as demanded from time to time.
- **26. Publication of summary of notified scheme in newspapers, etc.-** (1) A summary of the scheme notified by the Government in the second schedule under sub-section (1) of section 38 of the Act shall be published by the local authority by means of a public notice given in two prominent daily newspapers and circulated in the area for being widely known in the area or locality of its jurisdiction which is likely to be affected thereby, within seven days from the date the scheme is notified by the Government.
- (2) The notice shall be signed by the Municipal Commissioner or the Chief Executive Officer of the local authority, as the case may be, or by an officer authorised by him in this behalf.

(3) The notice shall be in such language or languages as the Municipal Commissioner or the Chief Executive Officer of the local authority, as the case may be, may specify in this behalf.

#### **SCHEDULE**

#### [See rule 14]

# PROCEDURE FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS OF MEMBERS OF A TOWN VENDING COMMITTEE REPRESENTING THE STREET VENDORS IN THE AREA OF THE JURISDICTION THEREOF

- 1. The local authority concerned shall supervise, direct and control the conduct of elections of the members of a Town Vending Committee representing the street vendors in the area of its jurisdiction.
- 2. As soon as the notification expressing the intention of the local authority to conduct elections for members of a Town Vending Committee representing the street vendors has been issued under sub-rule (1) of rule 13 and a returning officer has been appointed for conducting the elections under sub-rule (2) of that rule, the local authority shall by a resolution determine the date, time and place for conduct of elections.
- 3. The notice of the resolution or decision of the local authority shall be circulated among the street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, by any of the following modes, namely:-
- (a) by public notice to be published in two prominent daily newspapers in Hindi, English or such other language as the local authority thinks fit;
- (b) by local delivery;
- (c) by post under certificate of posting;
- (d) by speed post or courier services, duly registered with competent authority as well as on the notice board of the returning officer and such notice shall contain information regarding-
- (i) the number of members to be elected including seats reserved for representatives of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities, women, persons with disabilities or any other specified categories;
- (ii) the date on which, the place at which and the hours between which nomination papers shall be filed, such date being not less than seven clear days before the date fixed for election or if that day happens to be public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

Explanation.- the term "public holiday" means any day which is a public holiday under section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 [Central Act XXVI of 1881] or any day which has been notified by the Government to be a public holiday for offices under the Government;

- (iii) the date and the hour for scrutinisation of the nomination papers;
- (iv) the date, place, hours of polling.
- 4. The local authority shall prepare a list of street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee as it stood on thirty days before the date fixed for inviting the nominations, and publish copies of the said list by affixing them upon the notice board at the office of the Town Vending Committee, not less than ten days prior to the date fixed for inviting nominations. The list shall specify the registration number or number of certificate of vending and the name of the street vendor, the name of the father or husband, as the case may be, and the address of the street vendor. It shall be the duty of the Town Vending Committee or the local authority, as the case may be, to bring up-to-date register of street vendors and such other register as the returning officer may require and hand over such records, register or registers to the returning officer thirty days prior to the date fixed for the purpose of election. A copy of the list shall be supplied by the Town Vending Committee or the local authority, or returning officer, as the case may be, to any street vendor on payment of such fee as specified by the local authority.
- 5. The nominations of the candidates for election shall be made in Form-1 annexed to this Schedule which shall be supplied by the returning officer to any street vendor, free of cost.
- 6. The candidate shall make a security deposit of rupees two thousand in cash or bank draft or pay order along with the nomination papers. If a candidate fails to get less than one-sixth of the votes polled, the security deposit shall be forfeited to the local authority.
- 7. Every nomination paper shall be presented in person by the candidate himself or by his proposer or seconder to the returning officer. The returning officer shall enter on the nomination paper its serial number and certify the date and hour at which the nomination is received by him and shall immediately give a written acknowledgement for the receipt

of the nomination paper which shall bear the seal of the Town Vending Committee or returning officer. Any nomination paper which is not received on or before the date and time fixed for its receipt shall be rejected.

- 8. (i) On the day following the date fixed for the receipt of nomination papers, the returning officer shall take up the scrutiny of the nomination papers;
- (ii) The returning officer shall examine the nomination papers and decide objections, which may be made by any person in respect of any nomination and may, either on such objection, or on his own motion and after such summary inquiry, if any, as the returning officer thinks necessary, reject any nomination:

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his name or the name of his proposer or seconder, or any other particulars relating to the candidate or his proposer or seconder, as entered in the list of street vendors referred to in paragraph 4 if the identity of the candidate, the proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt.

- (iii) the returning officer shall give all reasonable facilities to the contesting candidates or the proposer or seconder as the case may be, to examine all the nomination papers and to satisfy themselves that the inclusion of the name of the contesting candidate is valid;
- (iv) the returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same as the case may be, and if the nomination paper is rejected, he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection;
- (v) the returning officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riots or affray or by causes beyond his control;
- 9. The list of valid nominations as decided by the returning officer with names in English alphabetical order and addresses of the candidates as given in the nomination papers will be displayed or published on the same day on which the scrutiny of the nomination papers is completed.
- 10. Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and submitted in person, at any time after the presentation of his nomination paper but before 05.00 pm on the day following the day on which the valid nominations are published, to the returning officer of the Town Vending Committee and a notice of withdrawal of candidates once given shall be irrevocable.
- 11. If the number of candidates whose nomination papers have been declared valid, does not exceed the number of candidates to be elected, the returning officer shall announce the names of all such candidates and declare them to have been duly elected to the Town Vending Committee after the closing hour of the day of withdrawal of candidatures fixed under paragraph 10 above. If the number of candidates whose nominations are valid exceeds the number to be elected, the returning officer shall arrange for conducting a poll on the date fixed for the purpose. The returning officer may appoint one or more polling officers as may be necessary for conducting the poll. Ballot paper to be used shall be as prescribed in Form-2 annexed to this Schedule.
- 12. The local authority shall provide the returning office with ballot boxes, ballot papers copy of list of street vendors or voters and such other articles as may be necessary for the conduct of elections. The ballot box shall be so constructed that ballot papers can be inserted therein but cannot be taken out there from without the boxes being unlocked. A candidate contesting the election may, by a letter to the returning officer appoint an agent to represent him both where polling is held to identify the voters and to watch the recording of votes and such letter shall contain the consent in writing of the agent concerned in Form-3 annexed to this Schedule.
- 13. Canvassing for votes by any person at the place where elections are to be conducted shall be prohibited.
- 14. Immediately before the commencement of the poll, the returning officer shall show the empty ballot box to such persons as may be present at the time and shall then lock it up and fix his seal. The candidate or his agent may also affix his own seal, if he so desires.
- 15. Every street vendor or voter who desires to exercise his right to vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of contesting candidates arranged in the English alphabetical order either printed, type written or cyclostyled, according to convenience, on the ballot paper. The ballot paper shall also bear the seal of the Town Vending Committee and also the initials of the returning officer, and further contain a column, for the voter to inscribe a mark [x] against the names of persons to whom he wants to vote.
- 16. Each polling station and where there is more than one polling booth at a station, each such booth shall contain a separate compartment in which the street vendors or voters can record their votes in secrecy.
- 17. No ballot paper shall be issued to a street vendor or voter unless the polling officer is satisfied that the street vendor or voter concerned is the same person as noted in the list furnished to him. On receipt of such ballot paper the street vendor or voter shall proceed to the polling compartment set apart for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he exercises his vote by inscribing a mark [x] against the names of the candidate or candidates, as the

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

case may be, and put the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy. If owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy, the street vendor or voter is unable to inscribe the mark on the ballot paper, the polling officer and where no such polling officer is appointed, the returning officer shall ascertain from him the candidate or candidates in whose favour he desired to vote, inscribe the mark [x] on his behalf and put the ballot paper in the ballot box.

- 18. If at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray or if at such elections, it is not possible to take the poll for any sufficient cause, the returning officer shall have the power to stop the poling, recording his reasons for such action in the minute book of the Town Vending Committee.
- 19. No street vendor or voter shall be admitted after the hours fixed for the poll but a voter, who enters the premises where ballot papers are being issued before the close of the polling hour shall be issued the ballot paper and allowed to vote.
- 20. The counting of votes shall take place immediately after close of the poll. If this is not possible, the ballot box shall be sealed with the seal of the returning officer and the contesting candidates or their agents, if they so desire, and deposit with the local authority for safe custody, the returning officer shall then announce the next day of counting. The votes shall be counted by or under the supervision of the returning officer. Each candidate and his authorised agent shall have a right to be present at the time of counting. But absence of any candidate or his agent at the time of counting shall not vitiate counting and announcement of results by returning officer. The number of votes secured by each candidate and the result of the elections shall be announced by the returning officer as soon as the counting is over.
- 21. The result of the elections shall also be recorded in the minute book of the Town Vending Committee and attested by returning officer and shall also be notified immediately on the notice board of the Town Vending Committee.
- 22. In case of equality of votes, the returning officer shall declare the election result by tossing coin.
- 23. The ballot paper shall be rejected by the returning officer if,-
  - (i) it bears any mark by which the street vendor's vote can be identified;
  - (ii) it does not bear the seal of the Town Vending Committee or the initials of the returning officer;
  - (iii) the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been cast;
  - (iv) is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.
- 24. After the result of election has been announced, the result of the election and a report thereon shall be communicated to the local authority as well as to the Government by the returning officer within three days after the declaration of result.
- 25. After the declaration of the result of the election, the returning officer shall handover the ballot paper and records relating to the elections of the members of the Town Vending Committee to the local authority in a sealed cover and the same shall safely be preserved by the local authority till the next election results are available and shall thereafter be destroyed by the local authority and a copy of the handing over and taking over record of elections shall be sent to the Government as well as local authority by the returning officer along with his report.

### **SCHEDULE**

#### Form-1

(paragraph 5 of Schedule)

### NOMINATION FORM FOR ELECTION OF MEMBERS OF TOWN VENDING COMMITTEE

To
The Returning Officer,
Town Vending Committee
Sir,
I,, wife/son/daughter of Shri/Smt./Ms, street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Registration Certificate of Vending No) hereby propose the name of Shri/Smt./Ms wife/son/daughter of Shri/Smt./Ms and a street vendor of the said Town Vending Committee (Registration/Certificate of Vending No) as a candidate for the post of Member of the said Committee for the election to be held on

	Name and signature of the proposer
	Registration/Certificate of Vending No
I,, wife/son/daughter of Shri/Smt./Ms No Town Vending Comn	
	Name and Signature of the Seconder
Registrati	on/Certificate of Vending No
DECLARATION BY	THE CANDIDATE
I,, wife/son/daughter of Shri/Smt./Ms of	
I further declare that-	
(i) I am not an employee of the said Town Vending Committee	tee;
(ii) I am eligible to vote;	
(iii) I do not incur any disqualification for election as M provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood a of 2014) and the 'Union Territory of Dadra and Nagar Havel of Street Vending) Rules, 2015 made thereunder.	and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7
	Name and Signature of the Candidate
Registra	tion/Certificate of Vending No
(FOR OFFICE	USE ONLY)
Received the nomination form at a.m./p.m.	
	Signature of the Returning Officer
	Seal
ACKNOWLE	EDGEMENT
Received the nomination form of	presented by Shri/Smt./Ms
	Signature of the Returning Officer
S	eal

### **SCHEDULE**

### Form- 2

### (paragraph 11 of Schedule)

### BALLOT PAPER FOR ELECTION OF MEMBER OF A TOWN VENDING COMMITTEE

Ballot paper of elections of Members of a Town Vending Committee whose elections are to be conducted under Schedule I appended to rule 14 of the 'Union Territory of Dadra and Nagar Haveli' Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015.

The .....

Town Vendin	ng Committee				
	(Address)				
••••••	(Addiess)			(Counterfoil)	
Ballot paper	for the Post of			(**************************************	
	ion				
Sl. No					
Certificate of	Vending No				
Please mark	[x] against one of the cand	idate			
Sl. No.	Name of candidate	Certificate of Vend	ling No.	Mark of casting vote	
		SCHE	DULE		
		For	rm- 3		
	NOMINATIO	ON OF ELECTION	N AGENT/ CO	DUNTING AGENT	
		(Paragraph 1	2 of Schedule)		
area of jurisd of Member of	liction of the Town Vendinof the said Committee, her	ng Committee, (Cert reby nominate the fo	ificate of Vend ollowing perso	, street vendor vending in ling No) contesting for elect n as my election agent/counting agent in (specify the date):-	ion
			Na	me and Signature of the Candidate	
		Ce	rtificate of Ven	nding No	
	, son/w			, addr	
			Naı	me and Signature of the Agent	

Committee, giving-

### FORM'A'

### [See rule 7]

## APPLICATION TO THE GRIEVANCE REDRESSAL AND DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE FOR THE REDRESSAL OF GRIEVANCE OR RESOLUTION OF DISPUTE OF STREET VENDORS

1.	Name and address of the applicant	•		
2.	Registration number/ case number/ ID number	:		
3.	Place of vending -	:		
	(give full details of location, zone ward, etc.)			
4.	Nature of vending (Tick the appropriate) -	:		
	(a) stationary		(a)	
	(b) mobile		(b)	
	(c) any other category (if other, please specify the category)		(c)	
5.	Date of issue of certificate of vending (attach a copy of certificate of vending, if issued)	f :		
6.	Grounds of redressal of grievance or resolution of dispute (give full details and attach more pages, if required)	e :		
			Signature	of applicant
	DECLARATION			
	, the applicant, do hereby solemnly do information and belief.	eclare th	at what is st	ated above is true to the best
Place	:			
Date:				
		Signatu	re of applica	ant
Note	- Please attach all the relevant documents along with the applicati	ion.		
	FORM'B'			
	[See rule 9]			
API	PEAL TO THE LOCAL AUTHORITY AGAINST THE DEC AND DISPUTE RESOLUTION C			RIEVANCE REDRESSAL
1.	Name and address of the appellant	:		
2.	Registration number/ case number/ ID number	:		
3.	Place of vending -	:		
	(give full details of location, zone ward, etc.)			
4.	Nature of vending (Tick the appropriate) -	:		
	(a) stationary		(a)	
	(b) mobile		(b)	
	(c) any other category (if other, please specify the category)		(c)	
5.	Decision of the Committee	:		
	(attach the copy of the decision of the Dispute Redressal			

	(a) the number of decisions; and			
	(b) the date of the decisions.)			
6.	Grounds of appeal (give full details and attach more pages, if required)	:		
			Signature	of appellant
	DECLARATION			
I,	, the appellant, do hereby solemnly dec	clare tha	t what is sta	ated above is true to the best
of my	information and belief.			
Place				
Date:				
	\$	Signatur	e of appella	ınt
Note.	- Please attach all the relevant documents along with the applicatio	n.		
	FORM'C'			
	[See rule 10]			
	APPEAL TO THE LOCAL AUTHORITY AGAINST THE D COMMITTEE	ECISIC	ON OF THI	E TOWN VENDING
1.	Name and address of the appellant	:		
2.	Registration number/ case number/ ID number	:		
3.	Place of vending -	:		
	(give full details of location, zone ward, etc.)			
4.	Nature of vending (Tick the appropriate) -	:		
	(a) stationary		(a)	
	(b) mobile		(b)	
	(c) any other category (if other, please specify the category)		(c)	
5.	Date of issue of certificate of vending (attach a copy of certificate of vending, if issued)	:		
6.	Nature of the order appealed against (Tick the appropriate)	:		
	(a) issuance of certificate of vending;		(a)	
	(b) cancellation of certificate of vending; or		(b)	
	(c) suspension of certificate of vending.		(c)	
7.	Grounds of appeal (give full details and attach more pages, if required)	:		
			Signature	of appellant
	DECLARATION			
	, the appellant, do hereby solemnly decinformation and belief.	clare tha	t what is sta	ated above is true to the best
Place				
Date:				
	9	Signatur	e of appella	nnt

**Note.-** Please attach all the relevant documents along with the application.

FORM'D'					
RETUR	[See rule 25] RETURN TO BE FURNISHED BY THE TOWN VENDING COMMITTEE				
	Survey-	:			
	(a) the number of street vendors surveyed during the year;				
	(b) name of area and wards where survey work has been completed along with date of completion of survey;				
	(c) name of area and wards where survey work is in progress along with the date of start of survey and the date of likely completion;				
	(d) the number of registered street vendors ward wise as on the last day of the year;				
[II]	Receipt and disposal of applications for issue of certificate of vending-	:			
	(a) the number of applications (ward wise) received for issue of certificate of vending during the year;				
	(b) the number of applications (ward wise) disposed of during the year of which-				
	(i) the number of applications accepted;				
	(ii) the number of applications denied;				
	(iii) the number of applications pending as on the last day of the year;				
[III]	Cases of suspension of certificate of vending-	:			
	(a) the number of cases in which action for suspension of certificate of vending initiated during the year;				
	(b) the number of cases of suspension disposed of during the year of which-				
	(i) the number of certificate of vending were suspended;				
	(ii) the number of cases closed and the				

	1		
	certificate of vending continued;		
	(iii) the number of cases		
	pending as on the last day of the year;		
[IV]	Applications for	:	
	revocation of suspension of certificate of vending-		
	(a) the number of applications for the revocation of suspension of certificate of vending received during the year;		
	(b) the number of applications received at (a) above disposed of during the year of which-		
	(i) the number of applications where suspension revoked and the certificate of vending revalidated;		
	(ii) the number of cases closed and suspension continued;		
	(c) the number of applications for revocation of suspension pending as on the last date of the year;		
[V]	Cases of cancellation of certificate of vending-	:	
	(a) the number of cases in which action for cancellation of certificate of vending initiated during the year;		
	(b) the number of cases of cancellation of certificate of vending disposed of during the year of which-		
	(i) the number of certificates of vending cancelled;		
	(ii) the number of cases closed and certificate continued;		
	(c) the number of cases pending on the last day of the year;		
[VI]	The number of meetings of Town Vending Committee	:	

	1.11.1 2 4	T	T
	held during the year;		
[VII]	Ward wise list of vending zones identified along with the details such as ward, area/colony, road, map of the vending zone, and the holding capacity;		
[VIII]	Ward wise number of registered street vendors that have been accommodated in the notified vending zones;	:	
[IX]	Other activities-	:	
	(1) (a) the social audit of its activities conducted during the year;		
	(b) promotional measures taken for making available credit, insurance and other welfare schemes of social security of the street vendors during the year;		
	(c) steps taken during the year to raise awareness among the public about the role of street vendors in the economy.		
	(2) The Government or the local authority, as the case may be, may require a Town Vending Committee to furnish such other return or returns in such proforma as demanded from time to time.		

[F. No. N-11028/3/2011-USD]

B. K. AGARWAL, Jt. Secy.